


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम ज हुकम की त में जारी
12-6-15	<p>पत्रायणी पेश हुई / <del>इज्जत-नबी</del> / वकील  <del>उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब</del>  <del>कोर कर है। अपकाश पर है।</del> <del>अपकाश पर है।</del>  <del>है नही है। अतः पत्रायणी सि० 14-7-15</del>  <del>को उदेईकला पर पेश हो</del>)</p>	
<p>14-7-2015</p> <p>24-7-15</p> <p>फैदर</p> <p>शरिफ</p> <p>निष्क्रिया</p> 	<p>पत्रायणी आज लोक अदालत शिविर उदेईकला में  पेश हुई। वादीगण मन्नु, केदार तथा प्रतिवादी <del>श्रीधर</del>  न मूझ्या उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस  आशय का पेश किया है कि वादीगण अपना  वाद चलाना नहीं चाहते हैं। वादीगण को दवा  वापिस लेने की अनुमति दी जावे।  प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुनाया  राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को दवा  वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पचा डिक्री  जारी किया जावे। पत्रायणी फैसल नुमांर होकर  नम्बर से कम ही एवं वाद तकमील दाखिल  दफ्तर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="430 1169 706 1438"> <p><i>Ganap</i>  (गंगाप्रसाद गुप्ता)  सदस्य  लोक अदालत  गंगपुर सिटी</p> </div> <div data-bbox="730 1169 990 1438"> <p><i>R.K. Sharma</i>  (रवि कुमार शर्मा)  सदस्य  लोक अदालत  गंगपुर सिटी</p> </div> <div data-bbox="1015 1169 1307 1572"> <p><i>Munishwar</i>  (मुनिदेव शर्मा)  अध्यक्ष  लोक अदालत  गंगपुर सिटी  उप जिला नन्वेकर  गंगपुर सिटी</p> </div> </div>	

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां  
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. मन्नू पुत्र बदरी, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
2. केदार पुत्र बदरी, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. मूडया पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
2. बाबू पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
3. श्रीफूल पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
4. रामसिंह पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
5. राजा पुत्र मूडया, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
6. भरतलाल पुत्र मूडया, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
7. नाहरसिंह पुत्र मूडया, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
8. लाला पुत्र मूडया, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
9. बत्तीलाल पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
10. सन्तोष पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
11. दिलीप पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी (नाम हजफ)
12. भंवरसिंह पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
13. मोहरसिंह पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
14. विजय पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी
15. पिन्दू पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापूर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 161/2013

वादीगण की ओर से वादी मन्नू व केदार व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मूडया व श्रीफूल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से जौर न्यायालय की नद लाकर दी गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
उप-कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

वादी	वाद के खर्चे	प्रतिवादी
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वादपत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>3. बदरों के लिए स्टाम्प</li> <li>4. ...रुमये पर प्लीडर की फीस</li> <li>5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</li> <li>6. कमिश्नर की फीस</li> <li>7. आदेशिका की तामील</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</li> <li>2. अर्जी के लिए स्टाम्प</li> <li>3. प्लीडर की फीस</li> <li>4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</li> <li>5. आदेशिका की तामील</li> <li>6. कमिश्नर की फीस</li> </ol>
जोड़		जोड़